

कार्य आदेश

(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

प्रकाश बनाम आहुतगनी (तर्का)

पत्रावली नं० 38 दिनांक 2021

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

मामूर उ माण्डल
अहकाम या हुकम
हुकम की कार्यवाही
में जारी हुई

7-21 वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर
विपक्षीयता को सम्मन नोटिस जारी किये जाये। पत्रावली दिनांक 27-8-21 को
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर माण्डल

7-87 उभय पक्ष को न्याय कीगरीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर ह / पररिपत है।
अतः पत्रावली दिनांक 28-8-21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

11-21 पत्रावली प्रशासन जाने के लंग अधिपान 2021 के मय
बावडी में पेश हुई, अप्राप्यगल के सम्मन बाद वापिस
होकर वापस आये पत्रावली हकमा द्वारा माँका रिपटि पेश
हुई जिसे आपर किया गया। प्रार्थना का प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाकर निगमि सुयकरी किया जाकर
आपिस पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल सुमार
होकर नम्बर से कम हो।

डॉ. पूजा शर्मा
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन नॉवो के रंग अधिपान 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

क्रमा संख्या :- 98/21 प्रि-पत्र

श्री प्रकाश सो. श्री रामपाल हरिजन निवासी-शा. 050 तहसील-शा. 050
--प्रार्थी

बनाम

श्री अशुभकरी सो. श्री अशुभकरी अंकारी गुहालमान नि. रांगोरे
तहसील व जिला-भीलवाड़ा (विपक्षीय)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 (सहायक प्रि-पत्र संख्या)

::आदेश::

दिनांक 01-11-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर
न किया कि ग्राम.....विरडिया..... पटवार हल्का.....बायसी..... तहसील मांडल/में उसके
संयुक्त खातों की आराजी नं. 1070/361, 935/361 कुल कित्ता 0.2
.....1.2899 हेक्टेयर..... स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी
येवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते
स्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.....17.7.21..... को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
किनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का
हारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेश
तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक
न्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....विरडिया
र हल्का.....बायसी..... तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 1070/361, 935/361
..... कुल कित्ता 0.2 रकबा..... 1.2899 हेक्टेयर.....
के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है।
गद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....श्रीजा..... को 500/-
कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें।
र फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील
को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी मांडल

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी मांडल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

नपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की
रपालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।